बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक 29.01.2026

संख्या–08/आ०5–58/2024.....144...../ जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 2799 दिनांक 19.10.2024 श्रीमती रंजना कुमारी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण–सम्प्रति–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बहादुरपुर, दरभंगा के विरूद्ध सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का प्रमाण पत्र वितरण में सेवामुक्त लेखा सहायक, हाकीम कुमार शाह से अनाधिकृत रूप से कार्य कराया जाने, सेवामुक्त लेखा सहायक श्री शाह द्वारा अवैध रूप से प्रति शिक्षक 200 रूपये लेने, कार्यालय में नियुक्त कर्मी से कार्य नहीं लेने, प्रखंड संसाधन केन्द्र में अनाधिकृत रूप से शिक्षक से कार्यालीय कार्य कराने एव बी.आर.सी. में स्वच्छ व्यवस्था नहीं रखने का आरोप पत्र प्रतिवेदित किया गया। जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 493 दिनांक 20.10.2024 द्वारा उक्त प्रतिवेदित आरोप के आलोक में श्रीमती रंजना कुमारी को निलंबन करने सहित अग्रेतर कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। प्राप्त आरोप पत्र के समीक्षोपरांत आरोप की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 1002 दिनांक 14.11.2024 द्वारा आरोपी पदाधिकारी श्रीमती कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. प्राप्त आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशालय के पत्रांक 17 दिनांक 02.01.2025 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से लिखित बचाव अभिकथन की माँग की गयी। आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त बचाव अभिकथन के समीक्षोपरांत समर्पित बचाव अभिकथन संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 352 दिनांक 27.03.2025 द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही का संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पूर्वी चम्पारण को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया। श्रीमती कुमारी से प्राप्त अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 362 दिनांक 02.04.2025 द्वारा आरोपी पदाधिकारी श्रीमती कुमारी को निलंबन मुक्त करते हुए उन्हें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बहादुरपुर, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी–सह–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 304 दिनांक 27.10.2025 द्वारा सभी आरोपों को प्रमाणित करते हुए जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। प्रमाणित जाँच प्रतिवेदन को संलग्न करते हुए आरोपी पदाधिकारी से लिखित अभ्यावेदन की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्रीमती कुमारी के पत्रांक 871 दिनांक 04.12.2025 द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

4. आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरांत पाया गया कि :–

1

(i) संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन में अंकित है कि वायरल विडियो क्लिप जिसमें श्री हाकिम कुमार साह का बी.आर.सी. रक्सौल में अनाधिकृत रूप से कार्यालय कक्ष में बैठकर शिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए एवं वहाँ बगल में बैठे व्यक्ति द्वारा रूपये लेने की पुष्टि किया गया है।

आरोपी पदाधिकारी का लिखित कथन है कि दिनांक 18.10.2024 को श्री साह प्रभार देने बी०आर०सी० में आये थे, जबकि घटित घटना दिनांक 18.10.2024 से सैंतालिस दिन पूर्व ही अपने कार्यालय पत्रांक 530 दिनांक 31.08.2024 के द्वारा श्री साह को प्रभार सौंपने हेतु आदेशित कर चुकी थी। इतनी लम्बी अवधि तक श्री साह द्वारा प्रभार नहीं सौंपे जाने की स्थिति में श्रीमती कुमारी द्वारा संज्ञान लिया जाना चाहिए था। मूल प्रमाण पत्र जैसे महत्त्वपूर्ण अभिलेख सेवामुक्त कर्मी को किसी भी परिस्थिति में वितरित करने हेतु नहीं सौंपा जाना चाहिए था। आरोपी पदाधिकारी के बचाव अभिकथन के अनुसार उनके कार्यालय में दिनांक 18.10.2024 को इतनी गंभीर घटना की जानकारी उन्हें उस दिन हुई ही नहीं, जब अगले दिन दिनांक 19.10.2024 को जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पूर्वी चम्पारण घटित घटना के वायरल विडियो की जाँच हेतु बी०आर०सी०, रक्सौल जा रहे थे तब जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पूर्वी चम्पारण के लिपिक द्वारा इस आशय की सूचना मोबाईल पर उन्हें दी गई, तब जाकर उन्हें घटित घटना की जानकारी मिली जो कि आश्चर्यजनक है। इससे स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी का अपने कार्यालय पर नियंत्रण नहीं था।

आरोपी पदाधिकारी के बचाव अभिकथन एवं वायरल विडियो के अवलोकन तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त स्पष्ट होता है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का प्रमाण–पत्र का वितरण, सेवामुक्त लेखा सहायक श्री हाकिम कुमार साह से अनाधिकृत रूप से कराया जा रहा था। जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई और जब जिला कार्यालय द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया तो घटित घटना के अगले दिन आरोपी पदाधिकारी श्रीमती रंजना कुमारी द्वारा अपने बचाव के उद्देश्य से श्री साह के विरूद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई।

(ii) संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदित है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा स्वंय अपने बचाव अभिकथन में श्री हाकिम कुमार साह सेवामुक्त लेखा सहायक द्वारा प्रति शिक्षक दो सौ रूपये लेने की सूचना प्राप्त होने की बात स्वीकार किया गया एवं विडियो में पत्रकार द्वारा श्री साह की शर्ट की जेब से ढेर सारे रूपये निकालते हुए तथा बगल में बैठे व्यक्ति से पूछने पर रूपये लेने की बात स्वीकार किया गया है।

(iii) प्रतिवेदित जाँच में अंकित है कि वायरल विडियो के अवलोकन से स्पष्ट है कि सेवामुक्त कर्मी श्री साह अनाधिकृत रूप से कार्यालय कक्ष में बैठकर शिक्षकों को प्रमाण–पत्र वितरित कर रहे थे, जहाँ शिक्षको की भीड़ लगी हुई है। उसी विडियो में बी०पी०एम० अपने कक्ष में अकेले बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

प्रमाण–पत्र जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख किसी सेवामुक्त कर्मी को हस्तगत कराकर वितरित कराना यह प्रमाणित करता है कि कार्यालय में नियुक्त कर्मी से काम नहीं लेकर सेवामुक्त कर्मी से काम लिया जा रहा था, जिसकी पुष्टि उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा भी की गई है।

(iv) प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में अंकित है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव अभिकथन में शिक्षकों से कार्यालय कार्य कराने की बात स्वीकार किया गया है। विद्यालय अवधि के बाद भी किसी शिक्षक से कार्यालय का कार्य कराना विधि सम्मत् नहीं है। उपस्थापन पदाधिकारी ने भी वीडियों में बी०आर०सी० रक्सौल में अनाधिकृत रूप से शिक्षकों से कार्यालय कार्य लेने की पुष्टि की है। बी०आर०सी० रक्सौल में साफ–सफाई की व्यवस्था नहीं है।

प्रमाणित प्रतिवेदित आरोप के बिन्दु पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिया गया लिखित अभ्यावेदन में कोई ऐसा तथ्य या साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है जिससे संचालन पदाधिकारी के प्रमाणित प्रतिवेदित आरोप को अपुष्ट किया जा सके। इस प्रकार आरोपी पदाधिकारी दोषी हैं।

5. अतः समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 14 (vi) के तहत श्रीमती रंजना कुमारी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण–सम्प्रति–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बहादुरपुर, दरभंगा के विरूद्ध 'संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

इसके साथ ही इस मामले को निष्पादित किया जाता है।

ह०/–
(विक्रम विरकर)
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांक–08/आ०–05–58/2024 ....144......../ पटना, दिनांक 29.01.2026

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण एवं दरभंगा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पूर्वी चम्पारण एवं दरभंगा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती रंजना कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बहादुरपुर, दरभंगा एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/01/26

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)